additional doses of deficit financing in the light of the tight position on the supply side would only aggravate an already serious situation.

I had mentioned earlier that the operations of the private sector were no less significant in bringing about the present imbalance between the rate of monetary expansion and real output growth. This also calls for corrective action. This has been engaging the Reserve Bank's attention and on a review of the present situation the Reserve Bank has decided to raise the Bank rate to 5 per cent with immediate effect.

In addition, the existing mechanism of credit control is being modified. Hitherto the borrowings of scheduled banks from the Reserve Bank were being regulated through a system of quotas. The Reserve Bank has now decided to introduce a system under which the cost of commercial banks' borrowings from the Reserve Bank will be linked to the actual level of credit extended by the commercial banks in relation to their own resources. Thus, the emphasis will be on increased cost, rather than a direct restriction of the availability of credit from the Reserve Bank, to secure the needed restraint. In this way, genuine productive requirements of the economy will not be affected.

The capacity of the banking system to meet the growing credit demands of an expanding economy will essentially depend on the success with which it can increase deposits. The present narrow spread between the interest rates on short and longer terms deposits is not conducive to the process of deposit mobilisation. The Reserve Bank is, therefore, simultaneously taking steps to introduce a more orderly deposit rate structure under which the rates on longer term deposits will become relatively more attractive to the holders and thus assist deposit mobilisation.

16.49 hrs.

DELHI CORNEAL GRAFTING BILL

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली करोल-बाग) : अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं :

> "कि मृत व्यक्तियों की आंखों का चिकित्सीय प्रयोग करने की व्यवस्था करने वाले बिल पर विचार किया जाये ।"

मेरा जो विधेयक है वह एक बहुत ही आवश्यक विधेयक है और जनकल्याण की भावना को लिये हुए है सब से बड़ी बात तो यह है कि जिन के आंखें नहीं हैं, जिन की आंखों में प्रकाश नहीं है उन्हें यह प्रकाश देने वाला है इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इस इस विधेयक को बहुत ही जनकल्याण की भावना से रक्खा है । आप कल्पना कीजिये उन लोगों की जो अपनी आंखें खो देते हैं और उन के सामने अन्धकार ही अन्धकार रहता है । जीवन के आवश्यक कार्यों को भी वे पूरा नहीं कर सकते हैं और एक प्रकार से उन का जीवन एक शून्य जीवन होता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो विधेयक रक्खा है उस के अन्दर मैंने यह सुझाव दिया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से चाहे तो अपनी आंखों की पुतलियों का दान कर सकता है ।

और वे आंखों की पुतलियां दूसरों में बिठायी जा सकती हैं और उन से दूसरे व्यक्ति को जोकि आंखों को खो चुका है, फिर नए सिरे से आंखें मिल जायेंगी ।

कहा जाता है कि आंखें हजार नियामत हैं, आंखों के बराबर कुछ नहीं हो सकता । आंखों से बढ़ कर जीवन में कोई चीज नहीं है । यों जीवन में बहुत सी बातें हैं और हम बहुत से काम करते हैं, लेकिन आंखों का महत्व सब से अधिक है ।

[श्री नवल प्रभाकर]

जब मैं यह विधेयक लाया उस वक्त दिल्ली के अन्दर कोई ऐसा विधेयक नहीं था। मैं ने मद्रास और बम्बई तथा पंजाब के विधेयकों को देखा, और उन को देख कर मैंने इस विधेयक में दिल्ली के लिए उपयुक्त शब्दावली रखी है मुझे यह मालूम है कि दिल्ली में बम्बई का विधेयक नोटिफिकेशन के जरिए लागू कर दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि कोई चीज जोकि नोटिफिकेशन के द्वारा रखी जाय वह किसी प्रदेश के लिए उतनी उपयुक्त नहीं हो सकती जितना कि संसद् के द्वारा पास किया गया कानून हो सकता है। मैंने इस विधेयक को बहुत सोच समझ कर रखा है, मेरा निवेदन है कि इस को स्वीकार कर लिया जाय। मैं ने इस के सम्बन्ध में डाक्टरों की राय ली। उन का कहना है कि बम्बई, पंजाब और मद्रास के जो कानून बने हैं उनसे यह ज्यादा अच्छा है तो मेरा माननीय मंत्री से यही निवेदन है कि इस विधेयक को स्वीकार कर लें। इस चीज को कानून के रूप में रखा जाना जरूरी है क्योंकि अधिसूचना के रूप में किसी चीज को निकाल देना उतना प्रभावकारी नहीं होता। उसमें उतनी शक्ति नहीं रहती जितनी कि एक विधिवत् पास किए गए कानून में होती है।

एक बात मुझे और याद आ गयी। दिल्ली के अस्पतालों की सलाहकार समिति में—जिस का मैं भी सदस्य हूं—डाक्टरों ने कहा कि उन्होंने इस बारे में बार बार भारत सरकार को और दिल्ली प्रशासन को लिखा, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया यह एक विशेष महत्व की बात है कि अगर किसी को आंख की पुतली बिठायी जाय तो उसे बैठाने दिया जाय। अभी तक ऐसा रहा है कि अगर कोई अपनी आंखें देना चाहता था तो उस को कठिनाई थी। लेकिन मैंने अपने विधेयक में यह रखा है कि जो अपनी आंखों की पुतलियां दान करना चाहता है वह किसी जिम्मेदार डाक्टर के सामने बयान दे दे तो वह यह दान कर सकता है। और फिर उसकी आंखों की पुतलियां अस्पताल में बैंक बना कर उसमें सुरक्षित रखी जा सकती हैं।

एक माननीय सदस्य : मरने के बाद या पहले।

श्री नवल प्रभाकर : मरते समय, जब उसको जीने की आशा नहीं रहती तो उस समय वह अपनी आंखों की पुतलियां दान कर सकता है।

तो मैं ने इस विधेयक में यह प्रबन्ध किया है कि वह डाक्टरों के सामने एक बयान दे दे और इस बात को कहे कि मैं अपनी आंखों की पुतलियां दान करना चाहता हूं, तो वह ऐसा कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अगर दान करने के बाद वह बच जाय तो फिर ?

श्री नवल प्रभाकर : श्रीमन्, डाक्टरों की राय है कि उस के प्राण निकल जायें उसके बाद उन पुतलियों को निकाला जाय तो भी वे उसी प्रकार से काम करती हैं जिस तरह जिन्दे व्यक्ति की। अब तक जो किया जाता है वह भी यही किया जाता है। यह तो कोई नहीं चाहेगा कि उसकी जीवित अवस्था में उसकी आंखें न रहें। लेकिन आज विज्ञान से यह सम्भव है और डाक्टरों की राय है कि जो इस प्रकार अपनी पुतलियां का दान कर देता है उस को सुरक्षित रखा जा सकता है और उपयुक्त मनुष्य में उन को लगाया जा सकता है।

तो मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरा विधेयक पूर्णतया पूर्ण है और जो बम्बई का विधेयक नोटिफिकेशन द्वारा लागू कर दिया गया है वह उपयुक्त नहीं हैं। मेरा विधेयक दिल्ली के जीवन के लिये उपयुक्त है। मेरी प्रार्थना है कि वे इस विधेयक को स्वीकार कर लें।

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Bill to make provision with respect to the use of eyes of deceased persons for therapeutic purposes, be taken into consideration."

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक माननीय नवल प्रभाकर जी लाए हैं उसकी भावना का तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो जीने वाला है, जो संसार में जीवित रहेगा क्या वह मरे हुए आदमी की आंखें लगा कर सीना निकाल कर चल सकेगा । यह कितनी डिसग्रेसफुल बात है कि एक जिन्दा आदमी एक मरे हुए आदमी की आंखें लगा कर चले, सैकिंड हैंड आंखें ऐसे आदमी की लगा कर चले जोकि परलोक को प्राप्त हो गया है । यह कितना डिसग्रेसफुल है ।

कुछ हमारे जमाने में यह दान की भावना बड़ी पैदा हो गयी है, और मैं ने पहले इस बारे में सदन में कहा भी है कि यह दान का तरीका मनुष्य के आत्म सम्मान को गिराता है, जैसे भूमि दान, ग्राम दान, या अर्थ दान आदि । हमारे समाज के वे अंग जोकि पहाड़ों को चीर कर उन में रेलें चलाते हैं, जो रेगिस्तान को एक चमन में बदल देते हैं उन को भूमि दान देने की बात करना उनका अपमान है, उन को तो देश की मिल्कियत में हिस्सेदार मानना चाहिये । दान देना है तो लंगड़े लूले, अपाहिज को दिया जाय । आज जो यह आंखों का बिल लाया गया है इस से मनुष्य के आत्म सम्मान को चोट पहुंचती है । ऐसी आंखों से क्या फायदा । हमारे गीता में लिखा है :

संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते

अगर मुझ जैसे आदमी से कोई दूसरे की आंख लगाने को कहे तो मैं अंधा रहना ज्यादा पसन्द करूंगा बजाय दूसरे की आंखें लगा कर जीवित रहने के ।

मैं मानता हूं कि हमारे नवल प्रभाकर जी जो यह बिल लाए हैं इस की भावना बहुत ऊंची है लेकिन समाज में जिसे हम मानव कहते हैं उस के लिए यह उपयुक्त नहीं है । वेद में कहा है :

अहं इन्द्रो न परस्तात्

और आगे वेद में कहा है :

वेदाहंमतं पुरुषं मान्तं, आदित्यवर्णम्
तमसः परस्तात्

कुरान में इन्सान को अशरफुल मखलूकात कहा है, बाइबिल में इन्सान के लिए कहा गया है "बैस्ट आफ क्रिएशन" ।

तो मेरा कहना है कि ऐसा मानव यदि मरे हुए आदमी की आंखें लगा कर जिन्दा रहे तो यह उसके लिए अपमान तथा तिरस्कार का प्रश्न है । गांधी जी ने कहा था कि दूसरे की गुलामी में रहने से मर जाना अच्छा है । यह विधेयक उस आदेश के अनुरूप नहीं है । इस प्रकार आंखें लगा कर जीवित रहने से तो अच्छा है कि आदमी निपट्ट अंधा रहे । तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो यह बिल लाया गया है इस की भावना का मैं जरूर स्वागत करता हूं । लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर ने आंखें नहीं दीं, हम भाग्य चक्र को मानने वाले हैं और लोक परलोक को मानते हैं, तो ऐसी हालत में यह समझ में नहीं आता कि क्यों इस प्रकार का बिल ला कर मानव जाति के स्टैंडर्ड को नीचा किया जाय । जिस को परमेश्वर ने आंखें नहीं दी हैं, वह मरे हुए मनुष्य की आंखें लगा कर संसार में सीना निकाल कर नहीं चल सकता । वह गरदन उठा कर नहीं चल सकता । हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री कहा करते थे कि इस तरह शान के साथ चलो कि आभास हो कि यह कुल स्वतंत्र देश के अभिमानी नागरिक की तरह चल रहा है । और जब स्वाभिमान नष्ट हो

[श्री यशपाल सिंह]

जायेगा, जिस वक्त सेल्फ़-रेस्पेक्ट नहीं रहेगी, जब मनुष्य में खुददारी की भावना नहीं रहेगी, तो फिर जीवित रह कर मनुष्य क्या करेगा ?

17.00 hrs.

माननीय सदस्य, श्री नवल प्रभाकर, जिस भावना से यह बिल लाए हैं, उस के लिए मैं उन को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन जो बिल उन्होंने पेश किया है, उस से मानव-जाति का स्टैंडर्ड गिरेगा, जीवन-स्तर गिरेगा । इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन को आंखें नहीं थीं, उन्होंने ज्यादा निर्माण किया है । मिल्टन, विरजानन्द और सूरदास ने ज्यादा निर्माण किया है । उन की अन्तरात्मा जगी हुई थी । उन के अन्तरचक्षु खुले हुए थे । हम जैसे आंखों वालों को भगवान् ने दर्शन नहीं दिये, लेकिन वह सूरदास के सामने आ कर प्रकट हुए और उन को दर्शन दिये । अन्धे होना संसार में किसी तरह का कोई अपमान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रों का निर्माण अन्धों ने किया है । धृतराष्ट्र अन्धे थे, किन्तु उन के सुपुत्र इतने बलवान और तेजस्वी हुए । अन्धे होना कोई अपमान या अवमान की बात नहीं है, बल्कि किसी मरे हुए की आंखें लगा कर जीवित रहना और देखना अपमान और अवमान की बात है ।

इसलिए मैं श्री नवल प्रभाकर से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लें और मानव-जाति को सीना निकाल कर चलने का मौका दें ।

Shri Kapur Singh: Everybody is not a proud *Thakur* like Shri Yashpal Singh. There are poor unassuming people like myself who would not mind accepting a gift like that if they needed it.

अध्यक्ष महोदय : ठाकुर साहब समझते हैं कि निर्माण के लिए अन्धे होना अच्छा है । शायद अन्धे होना इतनी बड़ी बात है कि जिस के पास आंखें हों, अगर वह खुद उन को निकाल ले, तो अच्छा हो ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री नवल प्रभाकर, ने यह बड़ा पवित्र प्रस्ताव इस हाउस में पेश किया है । जब आदमी मरने के करीब होता है, तो उस को ब्लड दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगली दफ़ा सोच कर आयें कि क्या कहना है ।

17.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the September 28, 1964/Asvina 6, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS II—1229 (Ai) LSD— 6-10-64—970.